



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
वस्तु एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क, विशाखापट्टनम क्षेत्र
Goods and Service Tax and Customs,
Visakhapatnam Zone



Establishment Order (NG.O.) No.09/2020 (Head Hawaldar)
Dated 27th August 2020

With the approval of the Competent Authority, the following postings and transfers are affected in the cadre of Head Hawaldar (Group 'C' Non-Ministerial) until further orders:

Sl.No.	Name of the officer (S/Shri)	Present place of posting	Posted to
1.	M. Srinivasa Rao	CPC, Vijayawada	Guntur GST
2.	Sk Mobeena	Tirupati GST	CPC, Vijayawada

2. Necessary orders may be made in the relevant records.

3. All the officers under orders of transfer are to be relieved on or before 11.9.2020. The date of relief, joining shall be intimated to CCO.

4. This issues with the approval of Chief Commissioner of Central Tax & Customs, Vizag Zone.

M. Sreekanth
 (M.Sreekanth)
 Joint Commissioner

(Issued from file C.No.II/3/06/2020-CC(VZ)EsttPF-III)

To

All the officers

Copy to:

1. The Principal Commissioner/Commissioner of Central Tax, Vizag /Guntur/Tirupathi / Hyderabad (CCA)
2. The Commissioner of Customs, Vijayawada
3. CAO/PAO of Vizag / Guntur/Tirupathi
4. Notice Board/Website/Stock file
5. Hindi version follows



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner



वस्तु एवं सेवा कर एवं सीमा शुल्क, विशाखापट्टनम क्षेत्र Goods and Service Tax and Customs,
Visakhapatnam Zone

स्थापना आदेश (एन.जी.ओ) सं. 09/2020 (प्रधान हवलदार)

दिनांक 27th August 2020

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से, निम्नलिखित प्रधान हवलदार (समूह 'सी' अमन्त्रालयिक) के संवर्ग में तैनाती और स्थानांतरण अगले आदेश तक प्रभावित होते हैं:

क्रमांक	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमति)	वर्तमान तैनाती स्थान	तैनात किया जाना है
1.	एम. श्रीनिवासा राव	सीपीसी, विजयवाड़ा	गुंदूर जीएसटी
2.	एस के मोबीना	तिरुपति जीएसटी	सीपीसी, विजयवाड़ा

- संबंधित अभिलेखों में आवश्यक आदेशों की प्रविष्टि की जाये. हैं।
- स्थानांतरण के आदेशों के तहत सभी अधिकारियों को 11.9.2020 पर या उससे पहले कार्यमुक्त किया जाए कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करने की दिनांक सीपीसीओ को सूचित किया जाएगा।
- यह मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क, वैजाग क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया गया है।

एम. श्रीकान्थ
(एम. श्रीकान्थ)
संयुक्त आयुक्त
27.8.2020

(फाइल सं. C.No.II/3/06/2020-CC(VZ)PF-III स्थापना से जारी किया गया है)

सेवा में
सभी अधिकारी

प्रतिलिपि :

- प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर, वैजाग/गुंदूर/तिरुपति/हैदराबाद (सीपीसी)।
- आयुक्त, सीमा शुल्क, विजयवाड़ा।
- मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन एवं अधिकारी, वैजाग/गुंदूर/तिरुपति।
- सूचना पट्ट /वेबसाइट/स्टॉक फाइल।

